


अन्न दिनांक 06/3/2020 को वि. वि. मे संचालित समस्त विषयों के अध्ययन मंडल की संयुक्त बैठक का आयोजन प्रशासनिक भवन के सभागार में आयोजित किया गया।

बैंक को संजोड़ा निम्नानुसार है -

- ① गश्व प्रविष्टि प्रवेश (Lateral Entry) पर विचार।
- ② एक बार स्नातक उत्तीर्ण के फर्मात् पुनः अन्य विषय में स्नातक करने की जनुमति देने पर विचार।
- ③ BCA एवं B.E.B.T प्राप्त दात्र - दात्रों को पं. सुनरलाल शर्मा (मुख्य) विद्यविद्यालय - दत्तीष्ठान विद्यालय पर एवं एस. सी. गणित प्रे प्रवेश की प्राप्ति पर विचार।
- ④ अध्यक्ष की जनुमति से बन्ध विषय पर विचार।

~~प्रत्यक्ष वा सार्व प्रविष्टि प्रवेश (Lateral Entry)~~  
बैंक मे निम्नानुसार सदस्य उपरिधान रहे -

1. मा. कुलपति -  
पं. सुनरलाल शर्मा (मुख्य) वि.वि.  
विद्यालय
  2. डॉ. तीर्थेश्वर सिंह IGNTU -  
डॉ. ली. एल. जोगल  
क्षेत्रीय निदेशक
  3. डॉ. उ.एल.ए. चंद्रेश  
अध्ययन मंडल सदस्य
  4. डॉ. प्रभानन्द मिश्र  
द्रुतव्याख्यात वि.वि.
- 

6/3/20  
06/03/2020

6. डॉ. सी. ए. वश्लार *06/03/2020*  
गुरुजीदास वि.वि.
7. डॉ. अनुष्ठाई-लो-ग (प्रभारी) *06/03/2020*
8. डॉ. बीना रिहा *06/03/2020*  
डॉ. वृजेश तिवारी (डॉ. वि.वि.)
9. डॉ. अनिता रिहा *06/03/2020*
10. डॉ. जयपाल रिहा उनापति *06/03/2020*
11. मौजी. संजीव लगानियां *06/03/2020*
12. मौजी रेशम लोल प्रव्याह *06/03/2020*
13. डॉ. श्रीति रामी भिंडा *06/03/2020*
14. डॉ. स्पैन्क राव *06/03/2020*
15. डॉ. पुष्कर दुबे *06/03/2020*
16. डॉ. तनुजा विरेटे *06/03/2020*
- (4.)

## ① प्रजाव - पार्श्व प्रविष्टि (Later Entry) पर विचार

निष्ठा - मा. कुलपति महोदय की अध्यक्षता में अध्ययन मंडल के सभी सम्मानित योग्यों की सर्वसम्मति से पार्श्व प्रविष्टि (Later Entry) के प्रावधानों का अनुमान किया गया।

प्रस्ताव क्र. २ - एक बार सनातक उमीर करें के पश्चात्  
युवा अभ्यास विषय में सनातक करें की गुणता  
द्वारा पर विचार।

निर्णय - अध्ययन मंडल ने यही लक्ष्यों का द्वारा इस  
प्रस्ताव पर अपनी अद्दाति उठाई थी जो इस  
उत्तराति होते अनुसारा भी यह।

प्रस्ताव क्र. ३ - BCA द्वारा B.E. ट्रेनीज छात्र घाटा-घाटा को  
को पर लुटपलाका दीर्घी (१३२०) वि. वि. छव्वीला/८, विलाला  
में श्र. डॉ. डी. गोविंद के उपर्युक्त पाठ्यक्रम परिवार

निर्णय - अध्ययन मंडल ने यही लक्ष्यों का द्वारा  
यह अद्दाति बनी भी लगातार ली गई तो में  
प्रत्येक द्वेष विद्यार्थियों के 'Programme pre-test'

४१८५३८ छव्वीला/८, लिपा, जावे, यादि विद्यार्थी द्वारा  
उमीरी उत्तर हो तो उसे लोकार्थी वाठपत्र न  
प्रदेश लिपा जावे।

AS held  
6/3/20 6-3-2020

AS held  
06/03/2020

On 03/03/2020

6/3/20

AS held  
06/03/2020

AS held  
06/03/2020

AS held  
06/03/2020

AS held  
06/03/2020

S. Chh.  
6/3/2020

AS held  
06/03/2020



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)  
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र 113 / अका. / वि.प. / बैठक / 2020.

बिलासपुर, दिनांक

27 / 06 / 2019

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद की 31 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 25 / 06 / 2020, दिन गुरुवार पूर्वाह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

1.	डॉ. बंश गोपाल सिंह कुलपति पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. बी.एल. गोयल क्षेत्रीय निदेशक पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर	-	सदस्य
3.	प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नामांकित)	-	सदस्य
4.	प्रो. मीता ज्ञा, (विडियो कान्फ्रॉन्टेंसिंग द्वारा उपस्थिति) पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नामांकित)	-	सदस्य
5.	डॉ. अनिता सिंह, अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर	-	सदस्य
6.	श्री संजीव कुमार लवानिया अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशारन्त्र पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर	-	सदस्य
7.	डॉ. एस. रूपेन्द्र राव अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर	-	सदस्य

8.	श्री रेशमलाल प्रधान अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर	- रादरय
9.	डॉ. इंदु अनंत कुलसचिव पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर	- राचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1.	आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ.ग.)	- सदस्य
2.	प्रो. एल.पी. पटेरिया, गुरु घारीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)	- सदस्य
3.	संचालक छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)	- सदस्य
4.	डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी कुलसचिव (SED), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली (कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)	- सदस्य

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् राचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया—

प्रस्ताव क्र. 01— विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 30 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय — कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02— समतुल्य पाठ्यक्रमों में Lateral entry प्रावधान रांबंधी नियम का अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — निम्न संशोधन के पश्चात् प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

1. इसे अध्यादेश मे समिलित किया जाए।
2. ड्राफ्ट के बिन्दु क्रमांक 7 मे संशोधन के साथ 'Equivalence Committee' की अनुशंसा पर 'Complaint Authority' जारी करेंगी लिखा जाए।
3. ड्राफ्ट मे बिन्दु क्रमांक 9 को विलोपित किया जाए।

प्रस्ताव क्र. 03— कोविड-19 के संदर्भ में अध्यादेश क्रमांक 1 के भाग C-1:10A संशोधन के अनुरूप अंक योजना में प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार।

निर्णय — अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 04— विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों के कार्यवाही—विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय — दिनांक 06/03/2020 को आयोजित अध्ययन मण्डल की समुक्त बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 02 के लिए धूजी.सी. से पत्र लिखकर अनुगति लिया जाए। इसी प्रकार दिनांक 06/03/2020 को आयोजित विधि विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 3 LLM पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु की गई अनुशंसा पर विचार कर निर्णय किया गया कि आपी कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।

प्रस्ताव क्र. 05— डॉ. गौरी शर्मा के लघु शोध प्रबंध की मूल्यांकन रिपोर्ट रूचनार्थ।

निर्णय — सूचना ग्रहण की गई तथा मान्य किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य अनुदान नियम 2016 के बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित “विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन विश्वविद्यालय विद्यापरिषद में रखे जायेंगे” के स्थान पर “विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन को अनुमोदन के लिए माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विद्यापरिषद की बैठक होने पर इसकी रूचना वहां भी दी जायेगी।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(बंश गोपाल सिंह)  
कुलपति/अध्यक्ष

(डॉ. इन्द्र अनंत)  
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्र. 114 /अका. /वि.प. /बैठक /2020,

विलासपुर, दिनांक 27/06/2020

प्रतिलिपि —

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. समानीय सदस्यगण —
- ✓ 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी-3, नया रायपुर (छ.ग.)
- 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

- 2.3. डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी, कुलसचिव (SED), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय भुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 2.4. प्रो. एल.पी.पटेरिया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.5. प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- 2.6. प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 2.7. डॉ. वी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU
- 2.8. डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU
- 2.9. श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU
- 2.10. डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU  
की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति / कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
5. नस्ती हेतु।



—  
कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
कोनी—बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)  
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. ५५५ / का.प. / बैठक / 2020

रायपुर, दिनांक ०१/०७/२०२०

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद की 94 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30/06/2020, दिन मंगलवार, अपराह्न 03:30 बजे विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में प्रत्यक्ष उपस्थिति तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 8 एवं 9 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | डॉ. बंश गोपाल सिंह<br>कुलपति<br>पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़<br>बिलासपुर  | — अध्यक्ष |
| 2. | श्री एस.एल.नायक<br>संयुक्त सचिव<br>छ.ग.शासन,<br>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग<br>नया रायपुर (छ.ग.)  | — सदस्य   |
| 3. | श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट<br>विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी<br>छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग<br>नवा रायपुर (छ.ग.)<br>(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)          | — सदस्य   |
| 4. | श्री प्रफुल्ल शर्मा<br>चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)  | — सदस्य   |
| 5. | श्री उचित सूद<br>होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)   | — सदस्य   |
| 6. | पद्मश्री डॉ.स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु<br>बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)   | — सदस्य   |
| 7. | डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति<br>सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)<br>पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़<br>(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत) | — सदस्य   |

8. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य  
आचार्य  
मानविकी अध्ययन विभाग  
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली  
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
9. श्री भावेश दुबे (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य  
संभागीय संयुक्त संचालक  
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर  
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
10. डॉ. इंदु अनंत — सचिव  
कुलसचिव  
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –

1. श्री एम. डी. दीवान — सदस्य  
संयुक्त सचिव  
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग  
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
2. श्री संतराम नेताम — सदस्य  
उपाध्यक्ष  
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण  
रायपुर
3. उपाध्यक्ष — सदस्य  
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण  
रायपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विद्या परिषद् की 31 वीं बैठक दिनांक 25/06/2020 के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के कार्यालय भवन हेतु रायपुर शहर में शासकीय भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव।

निर्णय – क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के कार्यालय भवन हेतु रायपुर शहर में शासकीय भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं यह भी निर्देशित किया गया कि NRDA नवा रायपुर में भी शासकीय भूमि क्रय के लिए प्रयास किया जाए।

**प्रस्ताव क्र. 03 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान संबंधी – डॉ. बंश गोपाल सिंह, माननीय कुलपति महोदय।**

**निर्णय –** चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर वित्ताधिकारी के परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाए।

**प्रस्ताव क्र. 04 – कुलसचिव को प्राप्त वित्तीय अधिकार संबंधी।**

**निर्णय –** प्रशासकीय वित्तीय अधिकार मान्य किया गया। कार्यपरिषद् में प्रथम बार मनोनित सदस्यों को स्वीकृत बजट की कॉपी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले भुगतानों की सूचना कार्यपरिषद् के सदस्यों को कार्यपरिषद् की बैठक में दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया।

**प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन संबंधी।**

**निर्णय –** C.1.10-B के प्रस्तावित प्रावधान में निम्नानुसार जोड़ते हुए संशोधन सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। “तथा विश्वविद्यालय ऐसे विडियो कान्फ्रैंसिंग की रिकार्डिंग भी करायेगा। पी-एच.डी. के प्रकरण में सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों के लिए ऐसे कॉन्फ्रैंस में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।”

**प्रस्ताव क्र. 06 – NAAC की तैयारी की दृष्टि से पूर्णकालिक/आकस्मिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।**

**निर्णय –** निर्णय लिया गया कि :

1. नियुक्ति हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए शासन को पुनः पत्र लिखा जाय। स्ववित्तीय आधार पर अनुमति का पत्र लिखा जाय।
2. विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप पूर्णकालिक कन्सल्टेंट के रूप में योग्य शिक्षकों की 6 माह हेतु नितान्त अस्थाई आधार पर विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति की जाय जिसमें शासन के अनुसार नियमों का पालन किया जाय।
3. मासिक मानदेय रूपये 29000/- प्रतिमाह तय किया गया।

**प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय में स्टूडियो की स्थापना करनें हेतु प्रस्ताव।**

**निर्णय –** विश्वविद्यालय में स्टूडियो की स्थापना करनें हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि स्टूडियो निर्माण के लिए मार्गदर्शक एवं उचित निर्देशन के लिए कार्यपरिषद् सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे –

1. पद्मश्री डॉ. स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
2. श्री उचित सूद
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति

समिति का सुझाव कार्यपरिषद् की अगली बैठक मे रखा जाएगा।

**प्रस्ताव क्र. 08 – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव।**

**निर्णय –**

सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी तीन फर्मों को योग्य पाते हुए समरत फर्मों के दर समान होने के कारण किसी एक फर्म को आदेश जाशि किए जाने की अनुशंसा क्रय समिति के द्वारा की गई थी। क्रय समिति की अनुशंसा पर विचार कर समान दर वाले तीन फर्मों में से एक फर्म श्री रिहिं विनायक सिक्योरिटी रिंजिसेस, बिलासपुर को प्रथमतः दो माह के लिए कार्यादेश दिए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त फर्म का सुरक्षा एवं सफाई कार्य अच्छा होने पर आगे कार्य अवधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। सुरक्षा एवं सफाई संबंधी व्यवस्था ठीक न होने की रिपोर्ट पर समान दर वाले दूसरे फर्म जो बिलासपुर में स्थित हो उसे उन्हीं दर और शर्तों पर कार्यादेश दिए जाने के संबंध में भी निर्णय लिया जा सकेगा।

**प्रस्ताव क्र. 09 – सी.ए. पैनल के अनुमोदन पर विचार।**

**निर्णय –**

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सी.ए. के नाम संबंधी पैनल में श्री संजय मिश्रा (सी.ए.) पार्टनर, में, नितेश अग्रवाल एण्ड एसोसिएट, सुभाष काम्पलेक्स, बिलासपुर, श्री रूपिन खण्डूजा (सी.ए.) बिलासपुर, श्री अमित अग्रवाल (सी.ए.) बिलासपुर, श्री नन्दन जैन रायपुर के अलावा श्री संतोष पमनानी तथा श्री सुनील जैन का नाम जोड़ते हुए पैनल अनुमोदित किया गया।

**प्रस्ताव क्र. 10 – पी.स्क्वायर साल्यूशन मथुरा (उ.प्र.) एवं प्रज्ञा पब्लिकेशन प्रा. लि. मथुरा (उ. प्र.) सत्र 2019–20 शेष देयक भुगतान संबंधी।**

**निर्णय –**

पेज संख्या को चेक करा भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

**प्रस्ताव क्र. 11 – शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए मुद्रित पाठ्यपुस्तकों के देयक भुगतान संबंधी।**

**निर्णय –**

विश्वविद्यालय द्वारा पी.स्क्वायर साल्यूशन मथुरा (उ.प्र.) को दिए गए कार्यादेश पर प्रदाय किए गए पाठ्यपुस्तकों शैक्षणिक सत्र (2020–21) का भौतिक सत्यापन करा पेज संख्या चेक करा 90% कुल भुगतान राशि से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 10% रोकी गई भुगतान की राशि कार्यपरिषद् की बैठक में रख पुनः स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाए।

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संत कबीर जी पर एक सेमिनार अक्टूबर माह में आयोजित की जाए। सेमीनार का प्ररतावना डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के राथ बैठक समाप्त हुई।

(बंश गोपाल सिंह)

कुलपति / अध्यक्ष

(इ. मंत्री –  
इंद्र अंतर्गत)

कुलसचिव / सचिव

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –
  - 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
  - 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्व पड़ाव नगर, पंचायत केशकाल, जिला कोणडागांव (मो. नं. 8959966666)।
  - 3.3 उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंविकापुर।
  - 3.4 श्री भावेश दुबे, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
  - 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
  - 3.6 सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
  - 3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
  - 3.8 पदमश्री डॉ. जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
  - 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
  - 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइंट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
  - 3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।  
की ओर कार्यवाही—विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों ..... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन—प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

1.7.2020  
कुलसचिव